



14

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, ३०५०, लखनऊ
Atal Bihari Vajpayee Medical University, U.P., Lucknow

W172
पत्रांक MBBS-13(2)/2023/ABVMU

दिनांक 30/6/23

To,


The Principal,

Hind Institute of Medical Sciences,
Barabanki

Letter of Intent

"As per the approval of the Hon'ble Vice Chancellor, Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow, The **Hind Institute of Medical Sciences**, Barabanki is hereby issued a letter of Intent to start MBBS Course with an annual intake capacity of total **100+150 Seat Increase=250 (One Hundred + One Hundred Fifty Seat Increase = Two Hundred Fifty) Seats** for the academic Session 2024-25, subject to grant of permission by the National Medical Commission Under section 26 and 28 of the NMC Act, 2019 (This Letter is valid for three academic years starting from Academic Session 2024-25).

This letter is being issued by Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow with the condition that if any adverse fact is observed in during verification and enquiry of land, building, facilities, infrastructure and manpower etc. this letter will be deemed as cancelled without any further notice.


(Udai Singh)
Registrar

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Principal Secretary, Medical Education Section-4, Government of Uttar Pradesh
2. The Director General, Medical Education and Training, 6th Floor, Jawahar Bhawan, Lucknow.
3. The Finance Officer, Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow
4. P.S. To Vice Chancellor, for the kindly Information of Hon'ble Vice Chancellor.

Registrar



अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उप्र०
Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, U.P.

L No २८ / Medical/ABVMU/2021
दिनांक : २२/०९/२०२१

To
The Manager
Hind Institute of Medical Sciences,
Safedabad, Barabanki,
Lucknow.

Letter of Consent/Intent

On the basis of the report of the local inquiry Committee the **Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow** has agreed, in principle, to affiliate **Hind Institute of Medical Sciences, Barabanki** for the starting of MBBS Course with an annual intake of **100 (One Hundred)** seats for the academic session 2021-22, subject to grant of permission by the National Medical Commission under / Section 26 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019).

This Letter of consent/Intent shall be valid for processing of application for three academic years from the date of issue.

22/09/2021
(Madan Singh Garbyal)
Registrar

L. No २८ / Medical/ABVMU/2021

dated: २२/०९/२०२१

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Addl. Chief Secretary, Medical Education Section-4, Government of Uttrar Pradesh, Lucknow.
2. The Director General Medical Education and Training, 6th Floor, Jawahar Bhawan, Lucknow.
3. The Finance Officer, Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow
4. P.S. to Vice Chancellor for the kind information of Hon'ble Vice Chancellor.

22/09/2021
Registrar

० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उप्र०)

ख्या : ल००३०वि० / सम्ब० / २०१८ / ९७०

दिनांक : 30.05.2018

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम रांडणा-14 रान 2014) यी धारा-37(2) के परन्तुक यी अधीन कार्य परिवद हारा न-पूर्ण दान की प्रत्याशा मे गाननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 30-05-2018 के अनुवालन मे हिन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज, रेलवे क्राइसिंग, सफदाबाद, बाराबंकी को आर्थिकज्ञान संकाय के अन्तर्गत एगोबीबीएस० पाठ्यक्रम मे 100 श्रीटों की प्रोश क्षमता के साथ रचवित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शीक्षिक सत्र 2017-18 रो रामददा प्रदान यी जाती है।

- 1 संस्था इण्डियन ऐडिकल काउन्सिल के प्राधिकार के अनुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेगी।
 - 2 संस्था उपर्युक्त शासन एवं इण्डियन ऐडिकल काउन्सिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित फीस की घनराशि ही छात्रों द्वारा लेगी तथा ऐडिकल कालेज में प्रवेश का माध्यम/विधि के सम्बन्ध में इण्डियन ऐडिकल काउन्सिल, नई दिल्ली तथा उपर्युक्त शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - 3 संस्था इण्डियन ऐडिकल काउन्सिल, नई दिल्ली/महानिदेशक, विभिन्न सिक्षा एवं प्रशिक्षण उपर्युक्त तथा विश्वविद्यालय को प्रवेशित अधिकारियों एवं विभिन्न शर्तों की सुचना नियन्त्रण सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-रामबद्ध पर निर्गत होने पाते शासनादेशों का पालन करेगी।
 - 4 संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सीओआई रेस्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दियस के उपरान्त ही छारयी जायेगी।
 - 5 संस्था/गणविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उत्तिष्ठित सुनिश्चित दिशा-निर्देशों एवं इस पिप्पय भे जमय-समय पर अन्य सुनिश्चित शासनादेशों का पालन करेगी।
 - 6 संस्था/गणविद्यालय कूलसविधि को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई रामबद्धता की शर्ते भलविद्यालय-निस्तर पूरी कर सकता है।
 - 7 संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय हृता निर्दिष्ट शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उपर्युक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापर स्थित जाने वाली कार्यवाही प्रियानुसार की जायेगी।
 - 8 संस्था/गणविद्यालय को सम्बद्धता भादेश महाविद्यालय द्वारा प्रभागित प्रपत्रों एवं मूलन्यूपत्रों के सम्बाद पर जारी किया जा रहा है। प्रगाणिता प्रपत्रों/रूचिचानाओं के अरात्तय पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता रद्द: समाप्त हो जायेगी।
 9. महाविद्यालय द्वारा गानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का वायोडाटा, आधार-कार्ड, पैन कार्ड, अनुकूल पत्र वेतन भुगतान का, विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना जानिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
 - 10 एम० उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए धारिका संख्या-61859/2012 में पासित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुसालन में गानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित रीती जायेगी।
 - 11 संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश गत पालन सुनिश्चित करेगी।
 - 12 संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी। संस्था/महाविद्यालय द्वारा गानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। संस्था को AISHE द्वारा दिया गया वेबसाइट पर प्रतिवर्ष DCE-11 से सम्बन्धित राशनारं अपलोड करना अनिवार्य है।

भावधीन

३०.८।१

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १ प्रमुख राष्ट्रीय, विकित्सा शिक्षा अनुगमा-३, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 २ वर्षभिन्ने ग्रन्थ, विभिन्नता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० जयाहर भवन, लखनऊ।
 ३ राष्ट्रीय सारांश एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 ४ पर्याप्त, हिन्दू इन्स्टीट्यूट ऑफ ऐडिकल साइंसेज, रेलवे क्राइसिंग, सफेदयाद, बारांवाली।
 ५ गोप्ता निगमन्त्रा, डॉ० राम मनोहर लोहिया अध्यक्ष विश्वविद्यालय, पैजायाद।
 ६ गोप्ता राधिका खुलपति, खुलपति जी के सूचनार्थ।
 ७ ग्रामांग, इ०झौली० रोल को इस आशय से प्रेरित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय नी योग्याई-एवं उत्तराभ्यास-इन पर
मान-से-कराये जाने हेतु।

१०८

३०) साम मनोहर लोहिया अनधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

નાના - નોંધારી / રાય / 2017 / 470

Digitized by srujanika@gmail.com

राष्ट्रद्वाता आदेश

१४८ एवं १४९ निवासियां शिक्षण वर्ष २०१६-१७ के अनुसार एवं लिखित आवेदन
के अनुसार इनकी विद्यालय वर्षा वर्ष २०१५-१६ में विद्यालय विभाग द्वारा दिए गए अधिकारी
के अनुसार उपर्युक्त विद्यालय वर्षा वर्ष २०१५-१६ में विद्यालय विभाग द्वारा दिए गए अधिकारी
के अनुसार उपर्युक्त विद्यालय विभाग द्वारा दिए गए अधिकारी
के अनुसार उपर्युक्त विद्यालय विभाग द्वारा दिए गए अधिकारी

The empirical evidence of demand for experience and its effect on wage rates has been analyzed by several authors.

१०८ अन्तर्राष्ट्रीय विनाशक विद्युति का उपयोग विभिन्न रूपों में हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि यह विद्युति का उपयोग विभिन्न रूपों में हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि यह विद्युति का उपयोग विभिन्न रूपों में हो सकता है।

प्राचीन ज्योतिष के विभिन्न ग्रन्थों में इसका उल्लेख है। अनुष्ठानिक रूप से इसका उल्लेख विश्वामित्र के ग्रन्थों में है। अनुष्ठानिक रूप से इसका उल्लेख विश्वामित्र के ग्रन्थों में है।

per la sua carica di consigliere del re, e quindi, anche se non si trattava di un'azione politica, era un gesto che poteva essere interpretato come un attacco alla sua autorità.

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ
କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ
କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

प्राचीन विद्यालयों का विवरण देते हैं।

et régularisé au moyen d'un autre système qui devrait être déposé à l'heure de 20h30 le 22 juillet.

२१ विद्युतीय विकास के लिए जलविद्युतीय विकास विभाग की वित्तीय समीक्षा विभाग के अधीन संचालित होनी चाही रखी जाएगी।

தென்கால விதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

10. The *U.S. Fish Commission* has been engaged in scientific researches on the marine life of the Pacific coast.

三

(સાંક્રાન્તિક વિદ્યા)

प्रायः विद्युत को सूक्ष्मालि एवं अविद्युत को लम्बालि तथा जली।

Die Ergebnisse der Reichenbach- und Bremgarten-Untersuchungen sind im folgenden zusammengefasst.

1950 ରୁ ପାଇଁ 1950 ରୁ ପାଇଁ 1950 ରୁ ପାଇଁ 1950 ରୁ ପାଇଁ 1950 ରୁ ପାଇଁ


1. *On the other hand, the author's argument is based on the assumption that the*

4. *What kind of a place would you like to live in? Why?*

For more information about the National Research Center for Environmental Exposure and Health, visit nrech.sph.uth.tmc.edu.

卷之三

卷之三



डा० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

संख्या : ल००३००७०/सम्ब०/२०१६/१०४५५

दिनांक : २२ } ७ } २०१६

प्रधान
हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज,
फैजाबाद, शाराबंधी।

विषय : राज्यान मे० एग०सी०वी०एस० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे०

महान्

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा ३७(२) मे० उल्लिखित वाक्यमानों के बागे कुलपति गहोदय के आदेशों के अनुपालन गे० हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, सफेदबाद, शाराबंधी को स्थानक रक्त पर आयुर्विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एग०सी०वी०एस० पाठ्यक्रम मे० १०० सीट हेतु स्ववित्तपोषित वाक्य के अन्तर्गत सन् २०१५-१६ (एक वर्ष) हेतु संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिवर्धों के अवीन राज्यकूपा प्रदान किया जाता है-

- १ सरथा इण्डियन मेडिकल काउन्सिल के प्राविधान के अनुसार घर्षित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेगी।
- २ सरथा शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज गे० प्रवेश के माध्यम/विधि द्वारा सारबंध गे० इण्डियन मेडिकल काउन्सिल/शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- ३ सरथा इण्डियन मेडिकल काउन्सिल, नई दिल्ली/गहानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० तथा विश्वविद्यालय के प्रवेशित आयथिर्यों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सारबंध गे० सगाय-सगाय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
- ४ सरथा द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एग०सी०आई रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवश के उपरान्त की करायी जायेगी।
- ५ सरथा द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सावधित विश्वविद्यालय परिनियावली/अध्यादेश तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्भीत अन्य आदेशों एवं सुसंगत शासनादेशों का साम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- ६ सरथा शासनादेश के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति, अनुवन्ध पत्र एवं वैक के गाध्यग से वेतन का भुगतान तथा एग०सी०एस० की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
- ७ अनुगोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुवन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य तथा जिररो विश्वविद्यालय द्वारा उनका गौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हें विश्वविद्यालय गे० उपस्थित करना होगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतीक्षित : निम्नलिखित को सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१ दर्शका नियन्त्रक/वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।

पायामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय भी वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य करें।

कुलसचिव



डा० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

दिनांक : लो०अ०विं० / सम्ब० / २०१५ / १५५।

दिनांक : १५. ५. २०१५

संचालन में,

प्रबन्धक,
हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज,
सफेदाबाद, बाराबंकी।

भाष्य : संस्थान से एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

भाष्य-

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 37(2) में उल्लिखित भागों के क्रम में कुलपति महोदय के आदेशों के अनुपालन में हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, सफेदाबाद, बाराबंकी को रनातक रस्ता पर आयुर्विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीट हेतु स्ववित्तपांपित भागों के अन्तर्गत सत्र 2014-15 हेतु संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिवर्धों के अधीन सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

१. संस्था इण्डियन मेडिकल काउन्सिल के प्राविधान के अनुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेगी।
२. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से सेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में इण्डियन मेडिकल काउन्सिल/शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
३. संस्था इण्डियन मेडिकल 'काउन्सिल, नई दिल्ली/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० तथा विश्वविद्यालय को प्रवेशित अध्यार्थियों एवं रिक्तियों को सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
४. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई रेम्प्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवश के उपरान्त की करायी जायेगी।
५. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अन्य आदेशों एवं सुसंगत शासनादेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
६. शासनादेश के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति, अनुवन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा रु०१०००००० की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
७. अनुपांगित अध्यापकों का वायोडाटा, अनुवन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य करे जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हें विश्वविद्यालय में उपरिथित करना होगा।

भवदीय
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. परीक्षा नियन्त्रक/वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।
प्रोग्राम, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य करे।

कुलसचिव



डा० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद

पुस्तकालय : लो०३१०विठ० / सम्ब० / २०१४ / १३८२

दिनांक : ०१.०२ २०१४

三

आव्याहा,
ट्रिं-ट इंस्टीट्यूट असफ भेडिकल साइन्सेज,
रोडे कॉर्सेंग, सफेदायाद, बारावंकी।

पिपल अधिकारी के संरक्षण को स्नातक स्तर पर आयुर्विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०बी०वी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ ईकाइक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

॥३०॥

उत्तरी शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता फी अनुग्राम प्रदान का जारा है। गिरिक्षण रिपोर्ट एवं प्रपत्र वी में इंगित समर्त नहियों एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र दिनांक 20

2) रास्था शारान हारा निर्धारित फीस की धन्दसिं ही छाएँ से लेंगी तथा गेडिकल कालेज में प्रदेश के मात्रम्/विवि
06.2013 मे गर्भित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।

2) रास्था शारान हारा निर्धारित फीस की धन्दसिं ही छाएँ से लेंगी तथा गेडिकल कालेज में प्रदेश के मात्रम्/विवि

२ रास्ता शारीरिक है।
कि सम्बन्ध में शारीरिक हारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायगा।

३ सरथा महानिदेशक, विद्यालय शिक्षा एवं प्रशिक्षण उद्योग को प्रबोधित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियन्त्रित किया जायगा।

४ उनके हारा नियारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में रामय-समय पर

५ ऐसे हारे आपत्तिरेशों का पालन करेगी।

उपरान्त ही करायी जायेगी।
५. शासना द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से साचित विश्वविद्यालय परिनियगावली/अध्यादेश एवं सुरक्षित शासनादेश
६. अनुसालन समिति किया जायेगा।

गायदीद

कृतिपिंड

प्रतिलिपि : भग्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यधारी हेतु प्रेषित।
भिज्ञ अधिकारी / उप कुलसचिव परीक्षा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कावयाणा हु भासा।
 १. पर्याक्षा नियन्त्रक/वित्त अधिकारी/उप कुलसत्रिय परीक्षा।
 २. प्रांतिक इंडोफोन रेल को इस आशय से प्रेपित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की योवराइट पर अपलोड करने
 का काम करें।



कूलसंग्रह

ડા० રામ મનોહર લોહિયા અવધ વિશ્વવિદ્યાલય, ફેઝાબાદ

નંબર: નો03ાઠગી0/રાય0/2013/૭૮૦૪

दिनांक : २५.०७.२०१३

四

नेगरपरीन् ...
दिन्दि दुल्लीदयूट आण गेडिकल शाइन्होज,
मंत्र फारेण, शाफेयाद, वारायंकी।

प्रायग रासायनिक अध्ययन को स्नातक रसायन पर आयुर्विज्ञान रांगाय थे अन्तर्गत एगोवी०वी०एरा० पाठ्यक्रम में 100 शीटों की प्रवेश क्षमता के राज्य शैक्षिक बज़ार 2012-13 हेतु समर्पिता के समर्थन में।

सामग्री के अनुसारिय लिखितरा शिला अनुमान-2 उत्तर प्रदेश शासन सखानक के पर दस्ता वार्ष 21 दि-37/2007 दिनांक 18 जून, 2013 के द्वारा यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश गवर्नर द्वारा अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश शासन विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा-37(2) के अनुसार इन्हें अपनाये गई अधिकार साफ़नीकरण, अल्पोत्तरीय, स्पष्टीकरण, व्यापकीय को स्नातक सार पर आयुर्विज्ञान शास्त्र के अन्यान्य विषयों पर अधिकारी विभिन्न विभागों द्वारा प्रयोग द्वारा के साथ विभिन्न विभिन्न अधीन शिक्षण एवं विकास की जाती है-

मानव संरक्षण विभाग के द्वारा 23.06.2012 में प्राप्ति की गई अधिकारीय अनुसुन्धान पाठ्यक्रम का एक हिस्सा।

प्राप्ति की अवधि का दूसरा विभाग इसके बाहरी विभाग की अवधि का दूसरा विभाग है।

ग्रन्थालय ने अपने उपर्युक्त विभागों की कार्रवी

नव ग्रामों की स्थापना की जाएगी। यह विद्युतीय विकास के अध्यार पर नियांसित बढ़ने विषय के लकड़ना है।

वार्षिक वर्षात् पर्यावरण आणि सो सामग्रित विश्वनिरालंग परिनियांगती/अस्थादेश एवं सुरंगम शारानांदेशा नव अनुपाती

क्रमांक २०१८ वर्षात् योग्य आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਯੋਗ ਪੀਸ਼ ਮੁਖਿਆਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਂਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

तिथि नामगदीने कृष्ण रांगालन व्यवसायिक आवार पर नारी रिहिया जाएगा।

प्रायः दास का पालनकर्ता को बतायेंगे।
प्रायः वालग परिवार को शिशुं गुवत रखेंगे।

गणदीय
संघराजा
(रामवन्द गांधर्थी)
कल्पाचित्

१०५३ वर्षे ग्रन्थाचार्य घण्टा आदश्यका कार्यवारी देश प्रपिता ।

प्रतिवार्षिक गो धूमान्तरे एवं आदिशब्द काव्यालय द्वारा दिया जाता है।



(रामाधनु गवर्नरः)

डा० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद

फ़ॉक्स 05278-213957
फ़ॉक्स 05278-248123

राख्या : लो०अ०धि०/राम्य०/२०१२/५/१३

दिनांक : २७ अगस्त, २०१२

मेरा गे,

चेयरपर्सन,
हिन्दू इंस्टीट्यूट आफ डेकल साइन्सेज,
सफेदाबाद, वारावंकी।

प्राप्ति : संस्थान को स्नातक स्तर पर आयुर्विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०बी०यी०एस० पाठ्यक्रम में 100 शीटों की प्रेषण क्षमता के साथ शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु कक्षा संचालन हेतु सम्भवता के सम्बन्ध में।

गहोरय,

प्रपुरुष विषयक अनुसंचित चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र राख्या 1790 / 71-2-12-एन-37 / 2007 दिनांक 10 जुलाई, 2012 के क्रम में मुझांसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (थथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2005) के अधीन हिन्दू इंस्टीट्यूट आफ डेकल साइन्सेज, सफेदाबाद, वारावंकी को स्नातक स्तर पर आयुर्विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०बी०यी०एस० पाठ्यक्रम में 100 शीटों की प्रेषण क्षमता के साथ निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु सम्भवता की अनुमति प्रदान की जाती है-

- 1 संस्था निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रपत्र वी में इंगित समरत क्षमियों एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या- एम०सी०आई०-34(41) / 2010-मेड / 8748, दिनांक 07.05.2011 में घर्जित शर्तों को पूर्ण कर लेगी।
- 2 संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा डेकल कालेज में प्रग्रेस से ग्रहण, निर्वासन के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3 संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अस्थिरियों एवं रिहितियों की सूचना नियमानुसार उनके हासा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दंस यांत्र शासनादेशों का पालन करेगी।
- 4 संस्था द्वारा प्रयोगित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०बी०यी०आई० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पर्सन द्वारा की जायेगी ही करायी जायेगी।
- 5 संस्था द्वारा प्रयोगित विद्यार्थियों आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/ ग्राह्यादेश एवं रुसंगत शासनादेशों का अनुपालन रुनिश्चित किया जायेगा।

शब्दीय

W
सहायक कुलसंचिव

सहायक कुलराधिय

प्रतीक्षित : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 परीक्षा नियन्त्रक।
- 2 निर्दा अधिकारी।
- 3 राहायक कुलराधिय परीक्षा।

